लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2510
उत्तर देने की तारीख : 09.03.2021

एनजीओ को वित्तीय सहायता

2510. श्री एम. सेल्वराजः
डॉ. ए. चेल्लाकुमारः
श्री एस. ज्ञानतिरावियमः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय की विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को निधि आबंटित की है;
(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान आबंटित और उपयोग की गई निधि का गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु सहित योजना-वार, वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार के पास एनजीओ द्वारा निधि के दुरूपयोग को रोकने के लिए कोई तंत्र है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख): इस विभाग ने गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों को कार्यान्वित किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु सहित गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत आवंटित और प्रयुक्त निधियों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) से (ड.): मंत्रालय पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने और निधियों के दुरूपयोग की रोकथाम करने के लिए स्कीमों की निम्नलिखित ढंग से निगरानी सुनिश्चित करता हैः-

1. सहायता अनुदान जारी करने के लिए एनजीओ द्वारा ई-अनुदान पोर्टल के माध्यम से प्राप्त केवल ऑनलाइन प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।
2. एनजीओ के प्रस्तावों पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की सिफारिशों और संतोषजनक निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर स्कीम के दिशा-निदेशों के अनुसार हर दृष्टि से पूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

3. कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुवर्ती अनुदान चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित खातों के लेखा-परिक्षित विवरण और वर्ष में जारी अनुदान के उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त होने के बाद ही जारी किया जाता है।
4. एनजीओ के कार्य-निष्पादन पर मंत्रालय के अधिकारियों और पीएमयू राज्य समन्वयकों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा औचक निरीक्षण के माध्यम से समय-समय पर निगरानी भी की जाती है। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।
5. मंत्रालय स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों के माध्यम से समय-समय पर मूल्यांकन अध्ययन प्रायोजित करता है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों के समुचित उपयोग की जांच की जाती है।
6. एनजीओ के लिए सीसीटीवी लगवाना और अपनी वेब-साइट पर अद्धतन जानकारी देना आवश्यक है।
7. एनजीओ को पीएफएमएस पर पंजीकृत किया जाता है और वे जनता को अपने कार्यकलापों के बारे में सक्रिय प्रकटीकरण के प्रयोजनार्थ ईएटी मोड्यूल को कार्यान्वित करते है।

पीएमयू राज्य समन्वयकों द्वारा किए गए औचक निरीक्षण और प्राप्त शिकायतों के आधार पर, मद्यपान और नशीले पदार्थ (ड्रग्स) निवारण सहायता स्कीम और नशीली दवा की मांग में कटौती करने के लिए राष्ट्रीय कार्य-योजना (एनएपीडीडीआर) के अंतर्गत 111 संगठनों की सहायता अनुदान को रोक दिया गया है। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक कार्य-योजना (एनएपीएसआरसी) के अंतर्गत 85 परियोजनाएं रोक दी गई है और अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक तथा अन्य संगठनों को अनुदान सहायता देने संबंधी स्कीम के अंतर्गत 42 परियोजनाओं का खराब प्रदर्शन पाया गया है।

*****

लोक सभा में दिनांक 09.03.2021 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 2510 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता देने संबंधी स्कीम के अंतर्गत जारी निधियां।

(लाख रूपए में)

क्र.सं.	**राज्य**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
1	आंध्र प्रदेश	135.77	118.90	221.85
2	गुजरात	32.18	0	47.28
3	हरियाणा	0.67	3.88	4.57
4	हिमाचल प्रदेश	6.51	11.76	8.20
5	जम्मू और कश्मीर	9	11.75	0
6	कर्नाटक	224.7	164.70	902.17
7.	मध्य प्रदेश	40.23	49.78	76.20
8	महाराष्ट्र	1119.17	678.13	1213.08
9.	ओडिशा	363.50	18.10	393.27
10	राजस्थान	31.19	83.35	232.60
11	तमिलनाडु	29.96	54.35	176.52
12	उत्तर प्रदेश	290.58	312.40	764.62
13	उत्तराखंड	0	31.64	44.05
14	पश्चिम बंगाल	80.35	39.41	40.92
15	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	44.81	147	227.21
16	असम	153.73	42.47	236.81
17	मणिपुर	27.93	64.59	75.13
18	तेलंगाना	59.72	25.56	0
19	एनएसकेएफडीसी	1400.00	0	0
20	एनएसएफडीसी	2950.00	1750	2020
कुल		7000	3607.77	6685.65

इस स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार निधियां आबंटित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एससी और ओबीसी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग स्कीम के अंतर्गत आबंटित और प्रयुक्त समग्र निधियों का ब्यौराः

वर्ष	आबंटित निधियां (लाख रूपए में)	प्रयुक्त निधियां (लाख रूपए में)
2017-18	2500	1984
2018-19	3000	1488
2019-20	3000	1326

इस स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार निधियां आबंटित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आईपीएसआरसी स्कीम के अतंर्गत राज्य-वार जारी की गई निधियां निम्नानुसार है:-

(लाख रूपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वितीय वर्ष		
		2017-18	2018-19	2019-20
1	आंध्र प्रदेश	728.35	1176.81	1728.39
2	असम	192.03	498.22	298.92
3	बिहार	13.37	22.92	0
4	छतीसगढ	17.95	9.13	18.26
5	दिल्ली	154.38	52.78	36.16
6	गुजरात	21.03	30.74	94.15
7	हरियाणा	110.33	109.6	249.15
8	हिमाचल प्रदेश	26.25	8.31	46.12
9	कर्नाटक	382.63	410.29	1281.76
10	केरल	23.01	54.53	101.64
11	मध्य प्रदेश	28.29	107.39	105.45
12	महाराष्ट्र	434.63	833.75	1304.05
13	मणिपुर	260.22	566.8	523.29
14	मिजोरम	5.89	0	0
15	नागालैंड	17.43	18.9	55.25
16	ओडिशा	730.96	848.88	2137.67
17	पुदुचेरी	0	1.8	37.11
18	पंजाब	14.58	31.27	12.46
19	राजस्थान	22.59	16.28	53.24
20	तमिलनाडु	707.16	997.41	1292.64
21	तेलंगाना	133.95	245.38	375.18
22	त्रिपुरा	25.58	25.65	21.72
23	उत्तर प्रदेश	119.11	105.89	308.85
24	उत्तराखंड	20.58	67.25	32.19
25	पश्चिम बंगाल	256.36	267.42	495.05
	कुल	4446.66	6507.4	10608.7

इस स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार निधियां आबंटित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मद्यपान और नशीले पदार्थ (ड्रग्स) दुरूपयोग निवारण के लिए सहायता के अंतर्गत जारी की गई राज्य-वार निधियां।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी निधियां (लाख रूपए में)		
		2017-18	2018-19	2019-20
1	आंध्र प्रदेश	128.11	302.45	314.41
2	तेलंगाना	71.29	123.06	351
3	हरियाणा	62.83	157.05	166.31
4	हिमाचल प्रदेश	15.03	34.35	53.52
5	कर्नाटक	115.33	698.11	1290.08
6	पंजाब	75.91	96.52	167.04
7	राजस्थान	254.12	177.91	498.28
8	तमिलनाडु	351.77	838.09	750.8
9	पुदुचेरी	16.45	81.16	41.36
10	असम	197.61	469.37	333.68
11	मेघालय	5.17	14.13	58.49
12	नागालैंड	77.61	179.3	155.74
13	त्रिपुरा	0	0	2.45
14	सिक्किम	0	38.18	18.55
15	बिहार	140.11	197.53	105.12
16	छतीसगढ़	7.9	17.76	39.14
17	गोवा	0	0	0
18	गुजरात	50.9	145.65	215.86
19	जम्मू और कश्मीर	0	20.04	18.99
20	झारखंड	0	0	2.2
21	केरल	367.16	307.44	905.13
22	मध्य प्रदेश	159.26	252.05	270.37
23	महाराष्ट्र	1010.18	1370.7	1645.7
24	ओडिशा	622.91	846.31	1115.06
25	उत्तर प्रदेश	371.77	374.63	510.7
26	उत्तराखंड	29.94	55.12	213.23
27	पश्चिम बंगाल	92.33	94.16	236.53
28	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
29	चंडीगढ़	0	0	0
30	दादर और नागर हवेली	0	0	0
31	दिल्ली	112.15	241.5	267.39
32	दमन और दीव	0	2.2	0
33	लक्षद्वीप	0	0	0
34	अरुणाचल प्रदेश	0	0	2.32
35	मणिपुर	437.62	545.01	864.2
36	मिजोरम	123.64	265.96	212.76
	कुल	4897.1	7945.74	10826.41

इस स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार निधियां आबंटित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।